अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित "एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी" की दिनांक 28.06.2021 को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय स्थित सभाकक्ष में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

प्रदेश के 17 नॉन अटेन्मेन्ट नगरों में वायु प्रदूषण के नियंत्रण संबंधी कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन तथा आगामी शीतकाल के दौरान वायु प्रदूषण के रोकथाम हेतु किये जाने वाले उपायों की समीक्षा के संबंध में अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 28.06.2021 को वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय स्थित सभाकक्ष में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी के सदस्यों के साथ–साथ प्रदेश के अन्तर्गत चिन्हित 17 नॉन अटेन्मेन्ट शहरों से संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी/संयोजक जिला पर्यावरण समिति एवं संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में श्री अनुराग यादव, सचिव नगर विकास विभाग तथा डा0 मुकेश शर्मा, आई0आई0टी0, कानपुर भी उपस्थित थे। बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत् है:–

2– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सर्वप्रथम अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, एअर क्वालिटी मॉनीटरिंग कमेटी तथा बैठक में प्रतिभाग किये सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ की गयी। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में चिन्हित 17 नॉन अटेन्मेन्ट नगरों में वायु प्रदूषण में सुधार हेतु क्रियान्वित कार्ययोजना एवं निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा की जानी है:–

- वर्ष 2020–21 में वायुगुणता की स्थिति।
- क्लीन एयर सिटी एक्शन प्लान एवं माइक्रोप्लान के क्रियान्वयन एवं वर्ष 2021–22 की द्वितीय त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित किये जाने की स्थिति।
- आगामी शीतकाल में वायु प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिगत "ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान" (GRAP) के प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति।
- हॉट–स्पाट चिन्हीकरण एवं उनके एक्शन प्लान के क्रियान्वयन की स्थिति।
- "डस्ट कन्ट्रोल एप" के अन्तर्गत विभिन्न विनिर्माण एवं विध्वंस परियोजनाओं के डस्ट कन्ट्रोल सेल्फ ऑडिट अपलोड किये जाने एवं उनके संयुक्त जांच की स्थिति।
- "समीर एप" एवं "स्वच्छ वायु एप" के अन्तर्गत प्राप्त लोक शिकायतों के निस्तारण की स्थिति।
- 07 मिलियन प्लस नगरों में वायुगुणता अनुश्रवण तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता विकास हेतु 15वें वित्त आयोग की धनराशि से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की स्वीकृति की स्थिति।
- "राष्ट्रीय स्वच्छ वायु प्रोग्राम" के अन्तर्गत आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी एवं प्रयागराज नगर निगमों को अवमुक्त धनराशि के उपयोग की स्थिति।

3– अपर मुख्य सचिव द्वारा वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए सम्बोधित किया गया कि वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण निर्माण एवं विध्वंसक कार्यो से जनित डस्ट, रोड डस्ट, औद्योगिक उत्सर्जन एवं ठोस अपशिष्ट को जलाना इत्यादि है। वायु प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग तथा श्वसन संबंधी बीमारियां, हृदय रोग आदि होने की सम्भावना प्रबल होती है जिसके फलस्वरूप जीवन अवधि में भी कमी आ सकती है। अपर मुख्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि एक अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण की तीव्रता शीत ऋतु में अधिक होती है तथा वर्षा ऋतु में कमी होती है। वायु प्रदूषण का सीजनल पैटर्न वित्तीय वर्ष में विकास की गतिविधियों/परियोजनाओं के समय के अनुसार पाया गया है। जनवरी माह में प्रायः पौधो की पत्तियों पर धूल जमा हुई देखी जाती है।

अपर मुख्य सचिव द्वारा परिवेशीय वायुगुणता के संबंध में जानकारी देते हुए यह बताया गया कि परिवेशीय का तात्पर्य शुद्ध प्राकृतिक हवा (धूल रहित) है। विभिन्न स्त्रोतों यथा निर्माण

एवं विध्वंसक कार्यो से जनित डस्ट, परिवहन, औद्योगिक उत्सर्जन आदि से जनित हवा में संघनित कणीय पदार्थो (पी0एम0 10 एवं पी0एम0 2.5) के कारण परिवेशीय वायुगुणता प्रदूषित हो जाती है। ग्रीष्म काल में हवा का बहाव तेज होता है जिससे कि इनकी मात्रा में कमी रहती है परन्तु शीत काल में वेन्टिलेशन में कमी तथा तापमान में गिरावट के फलस्वरूप जनित (इन्वर्जन इफेक्ट) के कारण परिवेशीय वायु में इनकी सान्द्रता अधिक हो जाती है।

अपर मुख्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि परिवेशीय वायुगुणता में पी0एम0 10 एवं पी0एम0 2.5 में कमी लाने हेतु तथा नगरों की ए0क्यू0आई0 में सुधार हेतु समुचित कार्यवाही तथा जन जागरूकता की आवश्यकता है। जन जागरूकता के माध्यम से जन सामान्य को शुद्ध वायु की महत्ता, ऑक्सीजन की महत्ता, वृक्षारोपण का महत्व एवं कार्बन प्रच्छादन (Sequatration) आदि के सम्बन्ध में जागरूक करके जन सहभागिता के द्वारा वायु प्रदूषण में अपेक्षित सुधार लाया जाना सम्भव हो सकता है। अपर मुख्य सचिव द्वारा कार्बन कैप्चर के दृष्टिगत वृहद वृक्षारोपण विशेषकर सघन वृक्षारोपण (High Density Plantation) किये जाने पर बल दिया गया।

अपशिष्ट प्रबन्धन के संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रायः यह देखा जाता है कि ठोस अपशिष्ट/मिट्टी के परिवहन में प्रयुक्त वाहनों को बिना ढके ही परिवहन किया जाता है जिससे की सड़को पर ठोस अपशिष्ट/मिट्टी गिरती रहती है जो कि वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण होता है। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि नगर निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा कड़ाई से इस पर नियंत्रण किया जाये तथा दोषी को रेड कार्ड/नोटिस दिया जाये।

(कार्यवाही–जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पर्यावरण समिति/लोक निर्माण विभाग/विकास प्राधिकरण/नगर निगम/नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद एवं अन्य निर्माण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी)

4– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के 17 नॉन अटेन्मेन्ट नगरों की वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में प्राप्त वायुगुणता के रिपोर्ट कार्ड का नगर वार विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021–22 से वर्ष 2025–26 तक पी0एम0 10 के वार्षिक औसतमान में कमी लाये जाने एवं गुड डेज (ए0क्यू0आई0 < 200) हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक उपायों के संबंध में भी निम्नानुसार प्रस्तुतिकरण किया गया :–

1) आगरा

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा नगर में वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में वायुगुणता में पी0एम0 10 एवं पी0एम0 2.5 के मान में बढ़ोत्तरी पायी गयी है तथा गुड डेज में भी कमी आयी है जबकि वर्ष 2020–21 में कोविड महामारी के दृश्टिगत लाकडाउन भी रहा है। उक्त से परिलक्षित होता है कि आगरा नगर वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना एवं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) का क्रियान्वयन समुचित नहीं हो पा रहा है। आई0आई0टी0, कानपुर द्वारा आगरा नगर में किये गये सोर्स अपोर्समेन्ट स्टडी में वायु प्रदूषण के मुख्य स्त्रोतों को चिन्हित किया गया है, जिसमें Soil & Road Dust, Coal & Fly Ash, Secondary Inorganic Aerosols (SIA) का पी0एम0 10 एवं पी0एम0 2.5 में प्रतिशत अंश अधिक है। यह भी अवगत कराया गया कि आगरा नगर में ट्रैफिक हॉट स्पाट भी चिन्हित है। जिस पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

डा0 मुकेश शर्मा, आई0आई0टी0, कानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा नगर में उद्योगो, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों आदि में स्थापित डी0जी0सेट में ईधन के रूप में ग्रीन ईधन का प्रयोग कर अथवा रीट्रोफिटिंग (वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र) के द्वारा नगर की वायुगुणता में सुधार लाया जा सकता है।

बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत **आगरा नगर के संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये:–**

(अ) वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना एवं ग्रेप को सभी विभागों के समन्यव से प्रभावी तरीके से लागू कराया जाये।

(ब) आई0आई0टी0, कानपुर द्वारा चिन्हित प्रदूषण के हाई प्रिआरिटी हाटस्पाट विशेषकर "ट्रैफिक कन्जेशन हाटस्पाट" को चिन्हित कर उनकी कार्ययोजना बनाकर कियान्वित की जाय।

(स) आगरा के अपविन्ड में स्थिति ईंट भट्ठों के कलस्टर से जनित प्रदूषण की रोकथाम हेतु भी प्रभावी कार्यवाही की जाये।

(द) व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों इत्यादि की डी0जी0सेट में ग्रीन ईंधन का प्रयोग तथा रेट्रोफिटिंग किये जाने की कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही की जायें।

उपरोक्त निर्देशों को क्रियान्वित कराकर क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति/जिलाधिकारी, संयोजक जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी)

2) अनपरा (सोनभद्र)

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि अनपरा नगर में वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में वायुगुणता में पी0एम0 10 के मान लॉकडाउन के समय नियत्रिंत रहा परन्तु लाकडाउन के उपरान्त थोड़ा बढा पाया गया तथा वार्षिक औसत में कमी आयी है। वर्ष 2020–2021 में गुड डेज में बढ़ोत्तरी हुई है। अवगत कराया गया है कि अनपरा नगर में वायु प्रदूषण के मुख्य स्त्रोत पावर प्लांट से जनित प्रदूषण, फ्लाई ऐश, रोड निर्माण, कोल/फ्लाई ऐश का परिवहन इत्यादि है। सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड की खदानों से कोयला परिवहन के ट्रको में विधिवत कवरिंग एवं व्हील वाशिंग नहीं की जा रही है जोकि रोड डस्ट होने का मुख्य कारण है।

बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत **अनपरा (सोनभद्र) के संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:–**

(अ) पावर प्लांट्स के निरीक्षण हेतु लक्ष्य निर्धारित कर लक्ष्य के अनुरूप निरीक्षण कर अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इन उद्योगों में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र (ए0पी0सी0एस0) का संचालन समुचित ढंग से कराया जाये।

(ब) कोल/फ्लाई ऐश के परिवहन से जनित डस्ट को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किये जाने की कार्यवाही की जाये एवं दोषी को नोटिस जारी किया जाये। इस हेतु नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा कोयला के परिवहन के दौरान कोयला की कवरिंग तथा व्हील वांशिग की व्यवस्था सुनि चत करायी जाये।

(स) सघन वृक्षारोपण एवं एल्गी पांड्स विकसित कर फ्लाई ऐश से जनित वायु प्रदूषण में कमी लाये जाने तथा वृक्षारोपण के अन्तर्गत अधिक से अधिक कार्बन अवशोषित किये जाने एवं आक्सीजन प्रदान करने वाले प्रजाति के वृक्षों को प्राथमिकता दी जाये।

उपरोक्त निर्देशों को क्रियान्वित कराकर क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति/जिलाधिकारी, संयोजक जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, मुख्य महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड)

3) बरेली

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि बरेली नगर में वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में वायुगुणता में पी0एम0 10 के मान में आंशिक कमी पायी गयी है तथा गुड डेज में भी कमी आयी है।

बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत **बरेली नगर के संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:–**

(अ) बरेली शहर में निर्माण एवं विध्वंस कार्यो से जनित धूल का प्रबन्धन प्रभावी ढंग से किया जाये तथा चेक लिस्ट तैयार कर तीन–तीन दिन पर निरीक्षण का कार्य किया जाये।

(ब) दोषी निर्माण एवं विध्वंस इकाईयों के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाये तथा इनको होने वाले बिल भुगतान से पूर्व अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली अवश्य की जाये।

उपरोक्त निर्देशों को क्रियान्वित कराकर क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही– अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति/जिलाधिकारी, संयोजक जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी)

4) फिरोजाबाद

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि फिरोजाबाद नगर में वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में वायुगुणता में पी0एम0 10 के मान में कमी पायी गयी। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2020–2021 में गुड डेज में आंशिक बढ़ोत्तरी हुई है।

बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत **फिरोजाबाद नगर के संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा निम्न निर्देश दिये गयेः–**

(अ) फिरोजाबाद नगर की वायुगुणता में सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये तथा ग्रेप को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाये।

(ब) ग्रेप को लागू कराये जाने हेतु SOP में दी गयी पूर्व तैयारी से संबंधित कार्य अवश्य किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों को क्रियान्वित कराकर क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति/जिलाधिकारी, संयोजक जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी)

5) गजरौला

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि गजरौला नगर में वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में वायुगुणता में पी0एम0 10 के मान में कमी पायी गयी जो मुख्यतः लाकडाउन के कारण है। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2020–2021 में गुड डेज में बढ़ोत्तरी हुई है। गजरौला शहर में मुख्य रूप से औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थित है, जिनके उत्सर्जन के मानकों का अनुपालन कराया जाना आवश्यक है।

बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत **गजरौला के संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा निम्न निर्देश दिये गयेः–**

(अ) गजरौला नगर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के क्रियान्वयन को प्रभावी ढंग से किया जायें।

(ब) गजरौला औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के व्यय पर वीडियों फैन्सिंग करवाकर उसका डायरेक्ट एक्सेस क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराया जायें।

(स) क्षेत्रीय अधिकारी कन्ट्रोल रूम से विजिबिल पाल्यूशन की नियमित मॉनीटरिंग भी करे तथा आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही भी करें।

उपरोक्त निर्देशों को क्रियान्वित कराकर क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति/जिलाधिकारी, संयोजक जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी)

6) गाजियाबाद

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि गाजियाबाद नगर में वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में वायुगुणता में पी0एम0 10 एवं पी0एम0 2.5 के मान में बढोत्तरी पायी गयी है। यद्यपि वर्ष 2020–2021 में गुड डेज में आंशिक बढ़ोत्तरी हुई है। अवगत कराया गया कि गाजियाबाद नगर की सोर्स अर्पोसनमेन्ट स्टडी आई0आई0टी0, दिल्ली द्वारा किया गया है जिसकी रिपोर्ट अभी अपेक्षित है। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही किया जाना होगा।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि गाजियाबाद नगर में लगभग 300 अनाधिकृत लघु उद्योग स्थापित है, इन उद्योगों को बंद कराने के उपरान्त इनके द्वारा पुनः संचालित कर लिया जाता है। अधिकतर उद्योग गाजियाबाद नगर के परिक्षेत्र में नहीं आते है परन्तु इनका प्रतिकूल प्रभाव गाजियाबाद नगर की वायुगुणता पर पड़ता है। यह भी अवगत कराया गया कि गाजियाबाद नगर में बहुमंजिला इमारतो का निर्माण भी तीव्र गति से हो रहा है, जिसके कारण नगर की वायुगुणता प्रभावित हो रही है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि दिल्ली सीमा से लगे क्षेत्रों में इलेक्ट्रिकल वेस्ट की अवैध प्रोसेसिंग का कार्य होता है, जिसके कारण भी वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत **गाजियाबाद नगर के संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा निम्न निर्देश दिये गयेः–**

(अ) गाजियाबाद नगर में नॉन कन्फार्मिंग एरियाज में स्थापित उद्योगों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी द्वारा अर्न्तविभागीय टीम का गठन कर कार्यवाही की जाये। इस संबंध में सीमावर्ती दिल्ली राज्य के संबंधित अधिकारियों के साथ भी समन्वित कार्यवाही हेतु बैठक कर प्रभावी समन्वित कार्यवाही सुनिशिचित की जायें।

(ब) प्राथमिकता वाले हॉटस्पाट को चिन्हित कर हॉटस्पाट मैनेजमेन्ट प्लान तैयार कराकर प्रभावी रूप से क्रियान्वित कराये।

(स) गाजियाबाद नगर में डीसेन्ट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु रेजीडेन्ट वेलफेयर एशोसियेशन के साथ बैठक कर बल्क उत्पादक के प्राविधान लागू कराये जाये।

(द) गाजियाबाद नगर के सीमावर्ती लोनी नगर पंचायत आदि में भी वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना एवं ग्रेप को सभी विभागों के समन्यव से प्रभावी तरीके से लागू कराया जाये।

उपरोक्त निर्देशों को क्रियान्वित कराकर क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति/जिलाधिकारी, संयोजक जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी)

7) गोरखपुर

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि गोरखपुर नगर में वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में वायुगुणता में पी0एम0 10 के मान में कमी आई है तथा गुड डेज में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

उक्त के संबंध में नगर आयुक्त, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि गोरखपुर नगर में मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण, सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य, परिवहन विभाग के साथ ट्रैफिक को नियंत्रित करना, रोड की end to end Paving आदि के द्वारा नगर की वायुगुणता में सुधार परिलक्षित हुआ है।

बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत **गोरखपुर नगर के संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा निम्न निर्देश दिये गयेः–**

(अ) गोरखपुर नगर की वायुगुणता में सुधार की सराहना की गयी तथा इसे भविष्य में भी मेन्टेन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

(ब) रोड की end to end Paving कार्यो से संबंधित फोटोग्राफ एवं तत्संबध में अपनाई गयी प्रक्रिया का विवरण आदि प्रेषित किये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये ताकि इसे नगर विकास, पी0डब्लू0डी0, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास तथा आवास एवं शहरी नियोजन एवं अन्य सम्बंधित विभागों के माध्यम से अन्य शहरों में भी लागू कराये जाने हेतु परिचालित कराया जा सके।

(स) वायुगुणता में सुधार से संबंधित कार्यो के क्रियान्वयन की नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों को क्रियान्वित कराकर क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति/जिलाधिकारी, संयोजक जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी)

8) झांसी

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि झांसी नगर में वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में वायुगुणता में पी0एम0 10 के मान में आंशिक कमी आई है यद्यपि गुड डेज में भी कमी हुई है। अवगत कराया गया कि झांसी नगर में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण स्टोन क्रशर क्लस्टर, माइनिंग, निर्माण एवं विध्वंस कार्यो से जनित धूल आदि है।

नगर आयुक्त, झांसी द्वारा अवगत कराया गया कि स्टोन क्रशर क्लस्टर के अतिरिक्त पाइप लाइन डालने हेतु हो रहे कन्स्ट्रशन भी वायु प्रदूषण का एक प्रमुख स्त्रोत है। यह भी अवगत कराया गया कि नगर में 13 स्थलों पर सेन्सर बेस्ड एनालाइजर के द्वारा वायुगुणता का अनुश्रवण कार्य किया जा रहा है।

बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत **झांसी नगर के संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा निम्न निर्देश दिये गयेः–**

(अ) झांसी नगर में ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन हेतु रणनीति बनाकर कार्यवाही प्रभावी ढ़ग से किया जाये।

(ब) निर्माण एवं विध्वंस कार्यो से जनित डस्ट के नियंत्रण हेतु वाटर स्प्रिंकलिंग एवं अन्य आव यक कार्यवाही प्रभावी ढंग से की जाये।

(स) स्टोन क्रशर में वायु प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था सी0पी0सी0बी0 द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप कराया जाये तथा अनुपालन न किये जाने की स्थिति में दोषी इकाईयों का सहमति निरस्त कर दी जाये।

(द) स्टोन क्रशर के क्लस्टर के अपविन्ड एवं डाउनविन्ड में वायुगुणता का अनुश्रवण कार्य नियमित रूप से कराते हुए तद्नुसार सुधार हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त निर्देशों को क्रियान्वित कराकर क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति/जिलाधिकारी, संयोजक जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी)

9) कानपुर

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि कानपुर नगर में वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में वायुगुणता में पी0एम0 10 के मान में आंशिक कमी एवं पी0एम0 2.5 के मान में बढ़ोत्तरी हुई है तथा गुड डेज में भी कमी हुई है। अवगत कराया गया कि कानपुर नगर में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण मेट्रो कन्स्ट्रशन, रोड डस्ट, व्हीकल कन्जेशन, उद्योगों से जनित प्रदूशण आदि है।

बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत **कानपुर नगर के संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा निम्न निर्देश दिये गयेः–**

(अ) कानपुर नगर की हाई उत्सर्जन ग्रिड्स को 'हाटस्पाट प्रियारिटाइजेशन टूल' का प्रयोग कर उच्च प्राथमिकता वाली ग्रिड्स को चिन्हित कर उनके उत्सर्जन को न्यून किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाये।

(ब) एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग स्टेशन के आस–पास के लोकल उत्सर्जन स्त्रोतो पर भी प्रभावी कार्यवाही किया जाये।

(स) रोड डस्ट उत्सर्जन में कमी हेतु मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन एवं वाटर स्प्रिकलिंग का प्रभावी प्रयोग कर उत्सर्जन न्यून किया जाये।

(द) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी "ग्रिड लेवल एक्शन प्लान" का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाये।

(य) कानपुर नगर में टोरेंट गैस द्वारा पी0एन0जी0 आपूर्ति की जा रही है। उद्योगों से जनित प्रदूशण के नियंत्रण हेतु उद्योगों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श कर उनमें पी0एन0जी0 का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये।

उपरोक्त निर्देशों को क्रियान्वित कराकर क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति/जिलाधिकारी, संयोजक जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी)

10) खुर्जा (बुलन्दशहर)

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि खुर्जा नगर में वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में वायुगुणता में पी0एम0 10 एवं पी0एम0 2.5 के मान में कमी हुई है तथा गुड डेज में बढ़ोत्तरी हुई है। क्षेत्रीय अधिकारी बुलन्दशहर द्वारा अवगत कराया गया कि खुर्जा नगर के परिक्षेत्र में स्थापित/संचालित पॉट्री औद्योगिक इकाईयों द्वारा ग्रीन ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है।

अपर मुख्य सचिव द्वारा खुर्जा नगर में वायुगुणता में सुधार की सराहना की गयी निर्देशित किया गया कि खुर्जा में वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना का प्रभावी कियान्वयन किया जाये।

(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति/जिलाधिकारी, संयोजक जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी)

11) लखनऊ

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ नगर में वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में वायुगुणता में पी0एम0 10 के मान में आंशिक कमी एवं पी0एम0 2.5 के मान में आंशिक बढ़ोत्तरी हुई है यद्यपि गुड डेज में भी कमी हुई है। अवगत कराया गया कि लखनऊ नगर में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण मेट्रो कन्स्ट्रशन, रोड डस्ट, ट्रैफिक कन्जेशन, निर्माण एवं विध्वंस कार्यो से जनित धूल आदि है। यह भी अवगत कराया गया कि विगत वर्ष शीत ऋतु में लखनऊ नगर की वायुगुणता का स्तर अत्यधिक खराब होना मीडिया द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में दर्शाया गया था।

उक्त के संबंध में सचिव, नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ नगर में निर्माण एवं विध्वंस के कार्य हो रहा है, जिससे जनित होने वाले धूल को नियंत्रित करने हेतु संबंधित समस्त विभागों से समन्वय स्थापित कर संयुक्त प्रयास किया जायेगा। सचिव, नगर विकास द्वारा इस संबंध में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ विचार–विमर्श कर वायु प्रदूषण नियंत्रण की ठोस रणनीति बनाकर सम्बंधित अधिकारियों के माध्यम से प्रभावी कार्यवाही किये जाने की पहल की गयी।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि लखनऊ नगर के तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित/संचालित इकाईयों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है, जिससे परिक्षेत्र की वायुगुणता में सुधार होना परिलक्षित हुआ है।

बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत **अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रदेश की राजधानी में वायु प्रदूषण अधिक होने के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जानी आवश्यक है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सचिव, नगर विकास लखनऊ शहर में वायु प्रदूषण नियंत्रण की ठोस रणनीति बनाये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करें तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराये।**

(कार्यवाही–सचिव, नगर विकास/सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी)

12) मेरठ

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मेरठ नगर में वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में वायुगुणता में पी0एम0 10 एवं पी0एम0 2.5 के मान में आंशिक कमी हुई है तथा गुड डेज में भी बढ़ोत्तरी हुई है। अवगत कराया गया कि मेरठ नगर में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण रोड डस्ट, रोड व अन्य निर्माण कार्य एवं ईंट भट्ठो से होने वाले उत्सर्जन आदि है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि मेरठ नगर के आस–पास संचालित किये जाने वाले कोल्हू में अनाधिकृत ईंधन को जलाने के कारण वायुगुणता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसको नियंत्रित किये जाने हेतु समुचित कार्यवाही की जा रही है।

अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा नगर परिक्षेत्र सीमा के अन्तर्गत स्थापित/संचालित ईंट भट्ठों के संदर्भ में वायु प्रदूषण की स्थिति के संबंध में जानकारी चाही गयी। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि मेरठ नगर के क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्व से स्थापित/संचालित ईंट भट्ठों को जिग–जैग सिस्टम में परिवर्तित कराया जा रहा है तथा कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत **मेरठ नगर के संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:–**

(अ) कोल्हू के संचालन से जनित उत्सर्जकों को नियंत्रित किये जाने हेतु कम लागत वाले वेट स्क्रबर का प्रयोग किये जाने हेतु जन–जागरूकता के साथ–साथ दिशा–निर्देश निर्गत किये जाये तथा लागू कराया जाये।

(ब) मेरठ नगर में निर्माण एवं विध्वंस/बहुमंजिला भवनों के निर्माण कार्य से जनित होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु दोषी इकाईयों के विरूद्ध अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि दोषी इकाईयों की सहमति के निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(स) रोड डस्ट के नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर नियमित रूप से क्रियान्वित की जाये।

(द) नगर में किये जा रहे रोड के निर्माण कार्य में end to end Paving को अनिवार्य किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों को क्रियान्वित कराकर क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति/जिलाधिकारी, संयोजक जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी)

13) मुरादाबाद

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मुरादाबाद नगर में वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में वायुगुणता में पी0एम0 10 के मान में आंशिक कमी हुई है यद्यपि गुड डेज में भी कमी हुई है। अवगत कराया गया कि मुरादाबाद नगर में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण रोड डस्ट, रोड के निर्माण कार्य एवं वाहनों से जनित उत्सर्जक आदि है।

उक्त के संबंध में मुख्य अभियंता, नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में मुरादाबाद नगर में कई स्थानों पर सीवर का कार्य होने के कारण नगर की वायुगुणता प्रभावित हो रही है, जिसकी रोकथाम हेतु मैकेनाइज्ड स्वीपिंग एवं पानी का छिड़काव का कार्य नियमित रूप से कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त नगर के हाटस्पाट को चिन्हित कर कार्ययोजना के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। उक्त के संबंध में अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा नगर आयुक्त, मुरादाबाद से गुड डेज में कमी आने का कारण पूछा गया। नगर आयुक्त, मुरादाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि नगर में चल रहे सीवर संबंधी निर्माण कार्यो के कारण वायुगुणता प्रभावित रही है।

बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत **मुरादाबाद नगर के संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:–**

(अ) मुरादाबाद नगर में रोड डस्ट के नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर नियमित रूप से क्रियान्वित की जाये।

(ब) नगर में किये जा रहे रोड के निर्माण कार्य में end to end Paving को अनिवार्य किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों को क्रियान्वित कराकर क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति/जिलाधिकारी, संयोजक जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी)

14) नोएडा

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि नोएडा नगर में वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में वायुगुणता में पी0एम0 10 एवं पी0एम0 2.5 के मान में आंशिक बढोत्तरी हुई है यद्यपि लाकडाउन के कारण गुड डेज में भी बढोत्तरी हुई है। अवगत कराया गया कि नोएडा नगर में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण रोड डस्ट, निर्माण एवं विध्वंस, ट्रैफिक जाम, रोड के निर्माण कार्य एवं वाहनों से जनित उत्सर्जन आदि है।

विशेष कार्याधिकारी (ओ0एस0डी0), नोएडा अथारिटी द्वारा अवगत कराया गया कि नोएडा नगर की वायुगुणता में सुधार हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, निर्माण एवं विध्वंस प्रबंधन तथा ठोस अपशिष्ट का बायोरेमिडियेशन आदि कार्य कराया जा रहा है।

उक्त के संबंध में अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली की वर्तमान स्थिति की जानकारी चाही गयी, जिसके संबंध में विशेष कार्याधिकारी, नोएडा अथारिटी द्वारा अवगत कराया गया कि अधिरोपित अर्थदण्ड की लगभग 45 प्रतिशत वसूली की जा चुकी है।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नोएडा द्वारा अवगत कराया गया कि नोएडा नगर भौगोलिक दृष्टिकोण से दो नदियों यमुना एवं हिण्डन के मध्य में स्थित होने एवं मृदा की श्रेणी इस प्रकार की है, जो वायुगुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव हेतु मुख्यतः उत्तरदायी है। उक्त के अतिरिक्त नोएडा नगर में अधिकांश स्थलों पर बहुमंजिला भवनों का निर्माण कार्यो से जनित धूल के कारण पी0एम0 10 एवं पी0एम0 2.5 के मान प्रभावित होते है। यह भी अवगत कराया गया कि नोएडा नगर में वायुगुणता के सुधार हेतु मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, नाइट वांशिग एवं डस्ट रेगुलेशन पर कार्ययोजना के अनुरूप क्रियान्वित किया जा रहा है।

बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत **नोएडा नगर के संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा निम्न निर्देश दिये गयेः–**

(अ) नोएडा नगर में निर्माण एवं विध्वंस कार्य में प्रयुक्त वाहन जिनके माध्यम से मिट्टी/विध्वंस अपशिष्ट का परिवहन समुचित प्रकार से ढककर किया जाये एवं दोषी इकाईयों को चेतावनी स्वरूप रेड कार्ड/नोटिस निर्गत किया जाये तथा उक्त की पुनरावृत्ति परिलक्षित होने की दशा में अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाये।

(ब) नोएडा शहर की निर्माण गतिविधियों में डस्ट कंट्रोल हेतु मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।

(स) हाटस्पाट की प्राथमिकता तय कर कार्यवाही की जाये।

उपरोक्त निर्देशों को क्रियान्वित कराकर क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही–सी0ई0ओ0 नोएडा अथारिटी/अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति/जिलाधिकारी, संयोजक जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी)

15) प्रयागराज

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रयागराज नगर में वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में वायुगुणता में पी0एम0 10 के मान में आंशिक कमी हुई है यद्यपि गुड डेज में भी आंशिक कमी हुई है। अवगत कराया गया कि प्रयागराज नगर में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण रोड डस्ट, निर्माण एवं विध्वंस, ट्रैफिक जाम, रोड के निर्माण कार्य एवं वाहनों से जनित उत्सर्जक आदि है। सदस्य सचिव, द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रयागराज में कुम्भ व माघ मेला के दृष्टिगत विकास कार्य पूर्ण हो चुके है केवल रोड डस्ट एवं अनुश्रवण केन्द्रों के आस–पास के उत्सर्जन स्त्रोतो पर कार्यवाही कर वायुगुणता में सुधार किया जा सकता है।

बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत **प्रयागराज नगर के संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:–**

(अ) रोड डस्ट के नियंत्रण हेतु नियमित जल का छिड़काव, रोड की मैकेनिकल स्वीपिंग आदि कार्य नियमित रूप से कराया जाये।

(ब) वायुगुणता अनुश्रवण केन्द्रों के समीप उत्सर्जन स्त्रोतों को चिन्हित कर इनमें प्रभावी कार्यवाही कर विलोपित किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों को क्रियान्वित कराकर क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही–सी0ई0ओ0 नोएडा अथारिटी/अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति/जिलाधिकारी, संयोजक जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी)

16) रायबरेली

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि रायबरेली नगर में वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में वायुगुणता में पी0एम0 10 के मान में कमी आई है तथा गुड डेज में भी बढ़ोत्तरी हुई है।

उक्त के संबंध में अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा उक्त कार्यो के द्वारा नगर की वायुगुणता में सुधार की सराहना की गयी तथा भविष्य में भी इसे मेन्टेन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति/जिलाधिकारी, संयोजक जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी)

17) वाराणसी

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि वाराणसी नगर में वर्ष 2019–20 के सापेक्ष वर्ष 2020–21 में वायुगुणता में पी0एम0 10 एवं पी0एम02.5 के मान में आंशिक कमी आई है तथा गुड डेज में भी बढ़ोत्तरी हुई है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि नगर में वर्तमान में चल रहे निर्माण परियोजनाएं वायु प्रदूषण के मुख्य कारक है, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वाराणसी नगर में नियमित पानी का छिड़काव, मैकेनिकल स्वीपिंग आदि की आवश्यकता बताई गयी।

बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत **वाराणसी नगर के संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा निम्न निर्देश दिये गये:–**

(अ) रोड डस्ट उत्सर्जन की कमी हेतु मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन एवं वाटर स्प्रिकलिंग का प्रभावी प्रयोग कर उत्सर्जन न्यून किया जाये।

(ब) सड़को पर एकत्रित कान्स्ट्रक्शन वेस्ट को हटवाया जाये।

(स) एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग स्टेशन के आस–पास के लोकल उत्सर्जन स्त्रोतो पर भी प्रभावी कार्यवाही किया जाये।

(द) निर्माण परियोजनाओं में डस्ट कन्ट्रोल का प्रभावी क्रियान्वयन कराया जाये।

उपरोक्त निर्देशों को क्रियान्वित कराकर क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाये।

(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति/जिलाधिकारी, संयोजक जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी)

5– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि एन0सी0आर0 कमीशन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा डस्ट ऐप विकसित किया गया है। डस्ट ऐप पर ऐसे सभी वर्तमान में संचालित एवं भविष्य में संचालित होने वाली निर्माण एवं विध्वंस परियोजनाएं जोकि एन0सी0आर0 म्युनिसिपल परिक्षेत्र में तथा नान अटेनमेंट भाहरो के अंर्तगत आती है तथा जिनका क्षेत्रफल 500 वर्गमी0 या इससे अधिक है, को डस्ट ऐप पर पंजीकृत होना अनिवार्य किया गया है। संबंधित परियोजनाओं को स्वयं सेल्फ आडिट रिपोर्ट डस्ट ऐप पर अपलोड किया जाना अनिवार्य किया गया है, जिसका सत्यापन संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाना प्राविधानित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत

कराया गया कि डस्ट ऐप पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दोषी इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना प्राविधानित है।

बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत उक्त के संबंध में अपर मुख्य सचिव द्वारा निम्न निर्देश दिये गयेः–

(अ) डस्ट ऐप पर सेल्फ आडिट के संबंध में प्राप्त हुई सूचनाओं का सत्यापन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाये। यह भी निर्देश दिये गये कि दोषी निर्माण परियोजनाओं से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली प्रभावी ढ़ग से किया जाये। निर्माण कार्य से संबंधित विभागों द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली कान्ट्रैक्टर के भुगतान से किये जाने संबंधी प्राविधान किया जाये ताकि पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

(ब) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा न करने वाली इकाईयों/परियोजनाओं की सहमति वापस लिये जाने हेतु नोटिस निर्गत कर कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही–नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/लोक निर्माण विभाग/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग/एन0एच0ए0आई0/यू0पी0डा0 एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

6– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के "समीर ऐप" एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विकसित "स्वच्छ वायु ऐप" पर प्राप्त जन शिकायतों एवं इनके निस्तारण पर भी प्रस्तुतीकरण किया गया ।

उक्त के संबंध में अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि संबंधित पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का त्वरित एवं समुचित निस्तारण किया जाये। "स्वच्छ वायु ऐप" का जनसामान्य हेतु अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार किये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति/जिलाधिकारी, संयोजक जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी)

7– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15वे वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रदेश के 07 मिलियन प्लस शहरों में वायुगुणता में सुधार लाये जाने के दृष्टिगत कुल रू0 357 करोड़ की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में स्थानीय नगरीय निकायों को अवमुक्त की गयी है। उक्त धनराशि का उपयोग 15वे वित्त आयोग की गाइडलाइन के अनुसार नगरों की वायुगुणता में सुधार लाये जाने के उद्दे य से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्ट्रेन्थिनिंग एवं केपेसिटी बिल्डिंग संबंधी कार्यो हेतु हेतु किया जाना है। उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये जा रहे नगरों की परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण कार्य एवं नेटर्वक के विस्तार हेतु वाछिंत व्यय भी 15वे वित्त आयोग की गाइडलाइन के अनुसार उक्त धनराशि के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है।

अवगत कराया गया कि संबंधित नगरों की वायुगुणता अनुश्रवण कार्य के दृष्टिगत वायुगुणता अनुश्रवण नेटर्वक में विस्तार, प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण, केपेसिटी बिल्डिंग, उद्यागों में चिमिनियों पर हाई मास्ट कैमरा स्थापित करने आदि कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 हेतु कुल रू0 142.83 करोड़ का प्रस्ताव संबंधित नगरों के नगर आयुक्त को प्रेषित किया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु कुल रू0 54.30 करोड़ मात्राकृत किया गया है। उक्त धनराशि अभी तक बोर्ड को प्राप्त नहीं हुई है। सदस्य सचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि संबंधित मिलियन प्लस नगरों के नगर आयुक्तों द्वारा माह– मार्च, 2021 में द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय की गयी परफार्मेन्स इवैल्यूऐशन गाइडलाइन के अनुरूप उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्ययोजना के अनुसार उक्त कार्यो को कराये जाने हेतु वचनबद्धता दी गयी थी तथा इस वचनबद्धता के आधार पर ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी। यदि समयान्तर्गत उक्त कार्य नहीं कराये जाते है तो 15वें वित्त आयोग के परफार्मेन्स इवैल्यूऐशन में इसका प्रतिकूल प्रभाव पडेगा जिससे शहर को रिलीज होने वाली धनराशि में कटौती भी हो सकती है क्योंकि पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार धनराशि का आवंटन परफार्मेन्स पर आधारित किया गया है, जिसमें उक्त कार्य के सूचकांक भी निर्धारित किये गये है।

बैठक में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत अपर मुख्य सचिव द्वारा धनराशि अवमुक्त किये जाने की कार्यवाही अविलम्ब किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही–सचिव नगर विकास विभाग तथा नगर आयुक्त, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी)

8– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि "राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम" के अन्तर्गत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से वर्ष 2019–20 में अवमुक्त धनराशि को प्रदेश के नगर निगम, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी एवं लखनऊ को इनसे संबंधित कार्यो हेतु धनराशि बोर्ड द्वारा आवंटित किया गया है। संबंधित को प्रेषित कुल धनराशि के 40 प्रतिशत धनराशि के व्यय का ही अभी तक उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त हो सका है। नगर निगम लखनऊ में व्यय की प्रगति अत्यधिक धीमी है। उक्त योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि की उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को प्रेषित की जानी है।

अपर मुख्य सचिव द्वारा संबंधित को निर्देश दिये गये कि यथाशीघ्र इनको अवमुक्त धनराशि का नियमानुसार शत–प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित करे।

(कार्यवाही–नगर आयुक्त, आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी)

9– **अपर मुख्य सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि वृक्षारोपण हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप समस्त शहरों में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कराया जाये। स्थानीय मेयर, जन प्रतिनिधियों आदि को भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित करते हुए कोविड महामारी के दौरान दिवंगत हुए लोगों की याद में इनके परिजनों से स्मृति उपवन में वृक्षारोपण कराया जाये। जन सामान्य को वृक्षों के द्वारा प्राप्त होने वाली प्राणवायु (आक्सीजन) की महत्ता के संबंध में जागरूक/ प्रचार–प्रसार किया जाये जिससे कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो सके।**

(कार्यवाही–अध्यक्ष जिला पर्यावरण समिति/जिलाधिकारी, संयोजक जिला पर्यावरण समिति/प्रभागीय वनाधिकारी एवं समस्त संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी)

10– **अपर मुख्य सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि उपरोक्त निर्देशों की मासिक अनुपालन सूचना प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में** पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को ईमेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ईमेल ms@uppcb.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाये।

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

(मनोज सिंह)
अपर प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7
संख्या– 526 /81–7–2021–09 (रिट)/2016
लखनऊ : दिनांक : 06 जुलाई, 2021

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/लोक निर्माण/सिंचाई एवं जल संसाधन/गृह/परिवहन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/ कृषि/उद्यान विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त, खाद्य एवं आपूर्ति, उ0प्र0 लखनऊ।

3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा अथारिटी/यमुना एक्सप्रेसवे अथारिटी/यूपीडा, उ0प्र0।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्ड लिमिटेड।
6. निदेशक, पर्यावरण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
8. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंचलिक कार्यालय नार्थ जोन, लखनऊ।
9. क्षेत्रीय अधिकारी, ईस्ट/वेस्ट, एन0एच0ए0आई0, लखनऊ।
10. नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, बुलन्दशहर (खुर्जा), फिरोजाबाद, सोनभद्र (अनपरा), बिजनौर (गजरौला), झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली, बरेली, मेरठ एवं गोरखपुर।
11. प्रभागीय वनाधिकारी (सदस्य संयोजक, जिला पर्यावरण समिति), लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, बुलन्दशहर (खुर्जा), फिरोजाबाद, सोनभद्र (अनपरा), बिजनौर (गजरौला), झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली, बरेली, मेरठ एवं गोरखपुर।
12. क्षेत्रीय अधिकारी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजियाबाद, नोएडा, बुलन्दशहर (खुर्जा), फिरोजाबाद, सोनभद्र (अनपरा), बिजनौर (गजरौला), झांसी, मुरादाबाद, रायबरेली, बरेली, मेरठ एवं गोरखपुर।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
उप सचिव।